

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 425/1840713/2022/3/1

भोपाल दिनांक 26/04/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, /सचिव,
मध्य प्रदेश शासन।
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल ।
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर ।
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- विभागीय जाँच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण के संबंध में।
सन्दर्भ:- इस विभाग के पत्र क्रमांक 204/1840713/2022/3/1 दिनांक 20-02/2024,

—00—

विषयांकित सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें (प्रति संलग्न है) । उक्त के तारतम्य मे निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें:-
(1) दिनांक 30-4-2024 तक सभी विभाग / कार्यालय विभागीय जाँच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन हो जाये तथा समस्त विभागीय जाँच की कार्यवाही पोर्टल पर ही की जाये । मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन द्वारा 15 मई के बाद विभाग में लंबित कुल विभागीय जाँच प्रकरणों की समीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाना प्रस्तावित है।

— 2 —

(2) ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित है, या 31 मई 2024 तक विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, ऐसे प्रकरणों में विभागीय जाँच की कार्यवाही अभियान चलाकर पूर्ण की जाए। ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की जाना हो, के लिए मंत्रिमंडलीय संक्षेपिका 31-8-2024 तक मुख्य सचिव कार्यालय में अनिवार्यतः प्रेषित की जाये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(मनीष रस्तोगी)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 426/1840713/2022/3/1


भोपाल दिनांक /04/2024

प्रतिलिपि -

- 1 राज्यपाल के सचिव मध्य प्रदेश राज्यभवन भोपाल।
- 2 महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/ भोपाल।
- 3 रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
- 4 मान0 उप मुख्यमंत्री /मंत्रीजी/राज्यमंत्रीगण के निज सचिवए निज सहायक, मध्यप्रदेश।
- 5 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 6 अध्यक्षए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
- 7 अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
- 8 प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव (स्थापना/ अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 9 प्रमुख सचिवए मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भोपाल।
- 10 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीए मध्यप्रदेश, भोपाल।

- 11 सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल ।
- 12 सचिव लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 13 सचिव लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर ।
- 14 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल ।
- 15 सचिव मानव अधिकार आयोग, भोपाल ।
- 16 मुख्य सचिव के उप सचिवए मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, भोपाल ।
- 17 महाधिवक्ता/ उप महाधिवक्ताए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
- 18 आयुक्त जनसम्पर्क, संचालनालय, म0प्र0भोपाल ।
- 19 समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
- 20 मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, भोपाल ।
- 21 अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल ।
- 22 अध्यक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28


प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 204/1840713/2022/3/1

भोपाल दिनांक 20/02/2024

प्रति

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभागीय जांच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्र. सी-6-1-2017-3-एक भोपाल, दिनांक 16 मार्च,
2017

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके माध्यम से समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 14 के अधीन मुख्य शास्ति अधिरोपित की जाने वाली प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में तथा लघुशास्ति के मामले अधिकतम 150 दिवस अर्थात 5 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।)

2. शासन के ध्यान में यह आया है कि उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है।

विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण के विषयक राज्य शासन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:-

(i) संदर्भित परिपत्र (संलग्न) में दिये गये निर्देशों एवं समयावधि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(ii) जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है उनके विभागीय जांच के प्रकरण दिन-प्रतिदिन सुनवाई कर, सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा 30 जून 2024 के पूर्व, जो भी पहले हो, समाप्त किये जायें। वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के शासकीय सेवकों के विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा तथा वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के अधिकारियों के विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा की जायें।

(iii) सभी विभाग, विभागीय जांच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से on-board हो जायें तथा समस्त विभागीय जांच कार्यवाहियां पोर्टल के माध्यम से ही की जायें।

4. सेवानिवृत्त/ दिसम्बर, 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी संलग्न प्रोफार्मा में एक सप्ताह में प्रेषित की जावे। संलग्न उपरोक्तनुसार



(मनीष रस्तोगी)

प्रमुख सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक 205/1840713/2022/3/1

भोपाल दिनांक 20/02/2024

प्रतिलिपि:-

- 1 राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल ।
- 2 महालेखाकार, म0प्र0ग्वालियर/भोपाल ।
- 3 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ।
- 4 प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश ।

- 5 मान0 उपमुख्यमंत्री/मंत्रीजी/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, मध्यप्रदेश।
- 6 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 7 अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
- 8 अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल ।
- 9 प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 10 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल ।
- 11 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश ,भोपाल ।
- 12 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ।
- 13 सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 14 सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
- 15 सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल ।
- 16 सचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल ।
- 17 मुख्य, सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय , म0प्र0शासन, भोपाल ।
- 18 महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ।
- 19 आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय,म0प्र0 भोपाल ।
- 20 समस्त जिला कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
- 21 मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
- 22 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
- 23 अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

